



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 06/2018

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री फय्याज उर्फ फयाज उम्र 32 वर्ष पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी श्रमिक
कॉलोनी बारां जिला बारां

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी.

(सायल)

2- स्वयं

(गैरसायल)

निर्णय दिनांक 04.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री फय्याज उर्फ फयाज पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा, अवैध हथियार की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2014 से 2018 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण जिसमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 08 प्रकरण एवं 01 प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से यह 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | प्रकरण संख्या | जुर्म धारा | नतीजा | निर्णय न्यायालय |
|---------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1. | 802/2014 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 544/30.11.2014 | सजा/26.11.2015 |
| 2. | 767/2016 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 483/20.10.2016 | सजा/09.11.2016 |
| 3. | 516/2017 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 351/19.08.2017 | सजा/29.08.2017 |
| 4. | 531/2017 | 4/25 आर्म्स एक्ट | 383/31.08.2017 | पे.कोर्ट |

| | | | | |
|----|------------|----------------|------------------|------------------|
| 5. | 641 / 2017 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 423 / 11.10.2017 | सजा / 31.10.2017 |
| 6. | 648 / 2017 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 430 / 23.10.2017 | सजा / 08.11.2017 |
| 7. | 776 / 2017 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 497 / 22.11.2017 | सजा / 27.11.2017 |
| 8. | 88 / 2018 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 41 / 06.02.2018 | पे.कोर्ट |
| 9. | 279 / 2018 | 13 आर0पी0जी0ओ0 | 125 / 27.04.2018 | पे.कोर्ट |

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर. पी.जी.ओ. के 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 05.06.18 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी जर्ये सम्मन की गई। गैरसायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर गैरसायल को जर्ये गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया। उक्त गिरफ्तारी वारन्ट की पालना के थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां के श्री आबिद हुसैन एफ.सी. नं0 477 द्वारा गैरसायल को गिरफ्तार किया जाकर हमारे समक्ष पेश किया गया। गैरसायल को आरोप सुनाया गया। उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया जाकर, निवेदन किया गया कि बीमार हो जाने के कारण इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित नहीं हो सका। गैरसायल से इस न्यायालय में हाजरी बाबत वांछित राशि के जमानत मुचलके चाहे गये। जो प्रस्तुत करने में वह असमर्थ रहा। गैरसायल द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, गैरसायल के हस्ताक्षर पत्रावली पर करवाये जाकर रिहा किया गया और प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2014 से 2018 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण जिसमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 08 प्रकरण एवं 01 प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमें से यह 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केंसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा निवेदन किया गया कि जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मैं बारां मे ही वाहन चालक का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना किशनगंज किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2014 से 2018 की अवधि में कुल 09 आपराधिक प्रकरण जिसमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 08 प्रकरण एवं 01 प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से यह 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री फय्याज उर्फ फयाज पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्ध है। क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 06 प्रकरणों में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री फय्याज उर्फ फयाज पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री फय्याज उर्फ फयाज पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारां जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 20.07.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारां से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जिला बारां सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां